IGI Airport are only of Category-II standard. Airports Authority of India has taken up the work of upgradation of the lighting systems at IGI Airport from Category-II to Categroy-III so that Category-III approach and landing is available at IGI Airport by November, 1999. There is no proposal to instal Category III ILS at Hyderabad, Mumbai and Chennai airports, as the same is not warranted by the visibility and weather conditions at these airports.

Transfer of Profitable Routes By IA to AI

2174. SHRI GAYA SINGH:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether his Ministry has any plan to hand-over some of the profitable routes at present run by the Indian Airlines to Air India; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) and (b) At present there are no such plans.

निजी एअरलाइनों को बन्द किया जाना

2175. **श्री रामदास अग्रवाल:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी एअरलाइन संचालकों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपना कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है;

(ख) उनके नाम क्या-क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उनकी ओर (एअरलाइन-वार) कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) क्या ऐसे एअरलाइनों, जिन्होंने बकाया धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है, के विरूद्ध बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) चार निजी एयरलाइनों अर्थात् मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स, मैसर्स मोदीलुफ्त, मैसर्स एन० ई० पी० सी० एयरलाइंस तथा मैसर्स स्काइलाइन एन० ई० पी० सी० लिमिटेड पहले की मैसर्स दमानिया एयरवेज ने विमान की अनुउपलब्धता तथा प्रचालनों की अव्यवहार्यता सहित विभिन्न कारणों से अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं। उनका प्रचालन परमिट अब वैध नहीं है।

(ग) तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई किए गए विमान टरबाईन ईंधन, विमानपत्तन प्रभार तथा अंतर्देशीय विमान यात्रा कर के रूप में इन प्रचालकों की ओर बकाया राशि के ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। **(नीचे देखिए)**

(घ) तेल कंपनियों ने निजी एयरलाइनों से बकाया की वसूलियों के लिए क़ानूनी कार्यवाही आरंभ की है। 1.4.1997 से विमानन टरबाईन ईंधन की सप्लाई के लिए किसी उधार सुविधा की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देयताओं की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। चूककर्त्ता एयरलाइनों की देयताओं को क्लीयर करने के लिए नियमित रूप से याद दिलाया जाता है। बकाया राशि को न चुकाये जाने की स्थिति में उनकी प्रतिभूति जमा को देयताओं के तहत सामंजित किया जाता है। कुछ मामलों में उधार सुविधा भी वापस ले ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर की वसूली के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा कर के भुगतान में चूककर्त्ता एयरलाइनों के विरूद्ध नियमनानुसार कार्रवाई की जाती है। पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा कर की देयताओं की वसूली के लिए विमानों को भी रोके रखा गया है।